

G.R. No. 150098/2015-16-2015

Fee Paid Rs. 500/-
Vide Application No. 202
Date 28.2.2015

अनूसूची 21-प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति-अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र सं० 187 2025

आवेदन सं० 2025

चुंकि श्री मंगल जाई & मंगल उर्वर ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के निबंधित सव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे

सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 2021 to upto date 2025 तक तलाशी की और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

Anubhaya Gauri

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निषादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				5	6	7	8	9
1	आवेदन में वर्णित संपत्ति का विवरण					Deed No. :- 1769	Dated :- 20.9.2021	Ranchi :-
	Mouza :- <u>देवाडा</u>							
	Thana No. :- <u>247</u>							
	Thana :- <u>बजारमावपुर</u>							
	Khata No. :- <u>99</u>							
	Plot No. :- <u>362</u>							
	Sub Plot No. :-							
	Area :- <u>34 sq.</u>							
	Dist :- Ranchi							

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
(ख) 1. बंधक- पत्र के दशा में जाम् की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त कि इनका बारे में उल्लेख हो।
2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवमारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाणपत्र तैयार किया -

(हस्ताक्षर) - 

(पदनाम) -


तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(पदनाम) - 

(हस्ताक्षर) -

कार्यालय - अवर निबंधक, शहरी क्षेत्र सं-2 (डोरण्डा प्रक्षेत्र), राँची।

तारीख - 



अवर निबंधक, राँची

Date 28.2.2025

शहरी क्षेत्र-2 (डोरण्डा) प्रक्षेत्र
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

टिप्पणी -

(1) इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं। यदी आवेदन द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदी आवेदन द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दसतावेजों में दिखाया गया हो, तो ऐसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रतिलिपियाँ देखता चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी मुल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूटे गये संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है और, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ना दूटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

ज्ञापक 187

दिनांक 28.2.2025


मंगल गाड़ी मंगल उर्वर

का संपत्ति अवमार

प्रमाण पत्र अवमार होम डेवलपट

हिन्

का प्रेषित


R.O.
अवर निबंधक, राँची
शहरी क्षेत्र-2, (डोरण्डा) प्रक्षेत्र
28.2.25